कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज(प्राशि) राजस्थान, बीकानेर
(ई–मेल– scholarship.ele.2013@gmail.com दुरभाष– 0151–2226563

क्रमांकः शिविरा / प्रारं / छात्रवृति / 3713 / 2019–20/59 दिनांकः– 23.9.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारंभिक शिक्षा

विषयः– विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा के दावे प्रस्तुत करने बाबत।
प्रसंगः– शासन उपसचिव के पत्रांक प.9(2) / शिक्षा–5 / छात्र दुर्घटना बीमा / 2017 पार्ट जयपुर दिनांक 4.9.2019 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के कम में लेख है कि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी का बीमा करवाया जाता है। दुर्घटना घटित होने के बाद क्लेम के लिए दावा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रस्तुत करने पर क्लेम का भुगतान बीमा विभाग द्वारा किया जाता है, परन्तु यह ध्यान में आया है कि कुछ जिलों द्वारा क्लेम के लिए दावा प्रस्तुत ही नहीं किया जाता है। जिससे विद्यार्थी एवं उसके अभिभावक योजना के लाभ से वंचित रह जाते है।

अतः आप इस योजना का भली भांति अध्ययन कर प्रतिमाह मोनेटरिंग करते हुए प्रत्येक दुर्घटना ग्रसित विद्यार्थी का क्लेम दावा शाला प्रधान से प्राप्त कर बीमा विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें जिससे प्रत्येक दुर्घटना ग्रसित विद्यार्थी को योजना का लाभ मिल सके साथ ही योजना के बारे में जानकारी का अभाव होने के कारण दावे कम प्राप्त होते है। अतः इस योजना का प्रचार प्रसार भी अपने स्तर पर करवाना सुनिश्चित करावें।

एसी महत्वपूर्ण योजना की सफलता के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना अति आवश्यक है जिससे अधिकाधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। प्रस्तुत दावों का निस्तारण करवाने हेतु बीमा विभाग से संपर्क कर समय पर निस्तारण करावें एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करवाने की व्यवस्था करावें।

23/9/19
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / प्रारं / छात्रवृति / 3713 / 2019–20 दिनांकः–
प्रतिलिपिः– समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।

उपनिदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग राजस्थान

Rajteachers.in